न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 402–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–1–14 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी परगना गुना प्रकरण कमांक 79/अपील/12–13.

आनंद मोहन पुत्र चन्द्रमोहन
निवासी जीवन मार्केट
प्रेम भवन, ए.बी. रोड, गुना ....आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती मालती पुत्री स्व. राजेन्द्र
2– श्रीमती सरोज विधवा पुत्री स्व. राजेन्द्र
3– श्रीमती रेणु विधवा पुत्री स्व. राजेन्द्र
4– श्रीमती रानी पुत्री स्व. राजेन्द्र
5– श्रीमती कुसुमबाई उर्फ इन्द्रा पत्नी स्व. राजेन्द्र
6– प्राणनाथ पुत्र जगजीवन नाथ
7– अरूण पुत्र प्राणनाथ
8– अशोक पुत्र प्राणनाथ
9– चन्द्रमोहन पुत्र जगजीवननाथ
निवासीगण ए.बी. रोड, जीवन मार्केट
प्रेम भवन, गुना
10– पटवारी मेहरवान सिंह
तहसील गुना ....अनावेदकगण

श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री सौरभ जैन, अभिषक, अनावेदक क. 1 लगायत 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/1/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, परगना गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–1–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 द्वारा अनुविभगीय अधिकारी, गुना के समक्ष नामांतरण पंजी कमांक 508 पर पारित आदेश दिनांक

8–11–94 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 17–7–2013 को लगभग 18 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई, इसलिए विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 79/अपील/12–13 दर्ज कर दिनांक 16–1–14 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण अंतिम बहस हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में दिन–प्रतिदिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है । अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष यह भी नहीं बतलाया जा सका है कि नकल क्यों और किन परिस्थितियों में प्राप्त की गई । जानकारी का स्रोत भी नहीं बतलाया गया है, और अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 को दिनांक 25–3–2013 को ही नकल प्राप्त करने की क्या आवश्यकता हुई, इसका कारण भी नहीं दर्शाया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन सम्पत्ति स्वअर्जित सम्पत्ति है, और आवेदक के बाबा ने उसके नाम वसीयतनामा निष्पादित किया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा सकारण है, और सभी वारिसानों के हित का संरक्षण किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि 19 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि बाद में सोची हुई कार्यवाही है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि भूमिस्वामी के तीन पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्र की मृत्यु हो गई है । दो भाईयों ने वसीयतनामा कराकर नामांतरण पंजी पर आदेश पारित करा लिया है, और एक भाई के वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया गया है । यह भी कहा गया कि पटवारी को वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण करने का अधिकार नहीं है, और न ही नामांतरण पंजी पर वसीयतनामा प्रमाणित हो सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलम्ब का स्पष्ट कारण दर्शाया

गया है, जो कि सद्भाविक होने से विलम्ब क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 5 लगायत 10 के विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का निराकरण करने में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया है, और न ही उनका निराकरण किया गया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी का यह दायित्व था कि वे उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण कर अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर विधिवत आदेश पारित करते, परन्तु उनके द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर देते हुए सकारण आदेश पारित करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, परगना गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–1–14 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर